न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 85/2017 प्रार्थना पत्र

1. श्रीमती कंकु बाई पत्नि रतनलाल जाति मीणा निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

– प्रार्थीगण

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा।

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0 एक्ट

प्रार्थीगण की और सेः– अधिवक्ता श्री अनुराग ओझा उपस्थित

आदेश

दिनांकः–31-5-22

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 ले0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का आराजीयात मौजा मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल की खाता संख्या /आराजी नं. 2176/3180 रकबा 0.2700 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात जो प्रार्थीया के पति श्री रतनलाल जी मीणा को दिनांक 24.04.1965 को राज्य सरकार द्वारा अॅलाट की गई थी एंव अलाटमेंट के बाद रतनलाल जी आराजी नम्बर 2248/1508 जिसका रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा था । उक्त आराजी न0 1508 का हिस्सा होकर अलाटमेंट के बाद से ही प्रार्थीया के पति रतनलाल जी व रतनलाल की मृत्यु के बाद प्रार्थीया के पति रतनलाल व रतनलाल की मृत्यु के बाद प्रार्थीया उक्त आराजी न0 2248/1508 जिसका नया न0 2176/3180 पडा पर काबीज होकर काश्त करती चली आ रही हैं ।

उक्त प्रकरण में उक्त आराजी नम्बर 2248/1508 उक्त अलाटमेंट से नामान्तरण स 254 स्वीकृत दिनांक 17.5.1965 से नामान्तरण पर चस्पा ट्रेस अनुसार काबीज होकर काश्त करती चली आ रही हैं ।उक्त ट्रेस अनुसार मौके पर प्रार्थीया की आराजीयात के पूर्व में रेल्वे

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

की सीमा, पश्चिम में शिवपुरी पिता शंकर गोस्वामी का खेत, उत्तर में पडत जमीन व दक्षिण में पडत जमीन स्थित है । इन चारो पडोस के बीच में प्रार्थीया वत अलाटमेंट से अपने पति के जमाने से काबीज हैं हाल ही में नवीन भू–प्रबंध के अनुसार नया नक्शा जारी हुआ है, जिसके अन्तर्गत ग्राम मांगरोल का भू– प्रबंधन के अनुसार नया नक्शा जारी हुआ हैं जिसमें भू– प्रबंधक विभाग के कार्मिको की गलती से उक्त प्रार्थीया के पति को अलॉटमेंट आराजीयात का अंकन गलत जगह कर हाल आराजी नम्बर 2176/3180 को रेल्वे की सीमा के पूर्वी तरफ गलत तरीके से पेमुद कर दिया हैं जिसे प्रार्थीया यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त त्रुटि को दुरस्त कराने का अधिकारिणी हैं ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी रेकार्ड मौका मिलान करने पर प्रार्थी वादी गाव मांगरोल की वर्तमान आराजी न 2176/3180 रकबा किस्म बंजड 1 लगानी रू.095 बरूए रिकार्ड कंकु पत्नि रामलाल मीणा सा देह के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होकर रहन बगैरा राज0 ग्रा0 बैक शाखा मांगरोल दर्ज रिकार्ड हैं । यह कि प्रश्नगत आराजी न0 भू– प्रबंधन के दोहरान रेल्वें विभाग की आराजी न0 2176 के आराजी नक्शें में अंकित की गई जिसकी नक्शे में कोई सीमा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अंकन नही किया गया । वर्तमान सेग्रीकेशन नक्शे में उक्त प्रश्नगत आराजी को रेल्वे की आराजी न0 2176 मं दर्शाया गया एंवम् मौके पर रेल्वे की पुख्ता बांउन्ड्री बनी हैं । वर्तमान नक्शे में दर्ज आराजी न0 2176/3180 पर मौके पर रेल्वे विभाग की हैं । उक्त भूमि पर वादी का कब्जा कभी भी नही रहा हैं ।

हमने वहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ वर्तमान पुराने रिकार्ड का नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्ररतुत करते हुए अपनी वर्तमान नक्शे प्रस्तुत किये हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्ररतुत करते हुए रेल्वे विभाग की होना बताया है। प्रकरण में दर्ज आराजी न0 2176/3180 को मौके पर रेल्वे विभाग की होना बताया है। प्रकरण में प्रार्थीयां ने जिस नामान्तरण संख्या 254 को आधार बनाया गया वो स्वीकृत नही है। नया व पुराना रेकार्ड में कोई अन्तर नहीं है। प्रार्थीया का मौके पर कब्जा भी नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जा सकता हैं ।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

की सीमा, पश्चिम में शिवपुरी पिता शंकर गोस्वामी का खेत, उत्तर में पडत जमीन व दक्षिण में पडत जमीन स्थित है । इन चारो पडोस के बीच में प्रार्थीया वत अलाटमेंट से अपने पति के जमाने से काबीज हैं हाल ही में नवीन भू–प्रबंध के अनुसार नया नक्शा जारी हुआ है, जिसके अन्तर्गत ग्राम मांगरोल का भू– प्रबंधन के अनुसार नया नक्शा जारी हुआ हैं जिसमें भू–प्रबंधक विभाग के कार्मिको की गलती से उक्त प्रार्थीया के पति को अलॉटमेंट आराजीयात का अंकन गलत जगह कर हाल आराजी नम्बर 2176/3180 को रेल्वे की सीमा के पूर्वी तरफ गलत तरीके से पेमुद कर दिया हैं जिसे प्रार्थीया यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त त्रुटि को दुरस्त कराने का अधिकारिणी हैं ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी रेकार्ड मौका मिलान करने पर प्रार्थी वादी गाव मांगरोल की वर्तमान आराजी न 2176/3180 रकबा किस्म बंजड 1 लगानी रू.095 बरूए रिकार्ड कंकु पत्नि रामलाल मीणा सा देह के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होकर रहन बगैरा राज0 ग्रा0 बैक शाखा मागरोल दर्ज रिकार्ड हैं । यह कि प्रश्नगत आराजी न0 भू– प्रबंधन के दोहरान रेल्वें विभाग की आराजी न0 2176 के आराजी नक्शें में अंकित की गई जिसकी नक्शे में कोई सीमा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अंकन नही किया गया । वर्तमान सेग्रीकेशन नक्शे में उक्त प्रश्नगत आराजी को रेल्वे की आराजी न0 2176 मं दर्शाया गया एंवम् मौके पर रेल्वे की पुख्ता बांउन्ड्री बनी हैं । वर्तमान नक्शे में दर्ज आराजी न0 2176/3180 पर मौके पर रेल्वे विभाग की हैं । उक्त भूमि पर वादी का कब्जा कभी भी नही रहा हैं ।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ वर्तमान पुराने रिकार्ड का नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपनी वर्तमान नक्शे में दर्ज आराजी न0 2176/3180 को मौके पर रेल्वे विभाग की होना बताया है। प्रकरण में प्रार्थीया ने जिस नामान्तरण संख्या 254 को आधार बनाया गया वो स्वीकृत नही है। नया व पुराना रेकार्ड में कोई अन्तर नहीं है। प्रार्थीया का मौके पर कब्जा भी नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जा सकता हैं ।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

अतः प्राथीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 31 .05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा